न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—पवन कुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—44 / 2021

हनुमान राम पुत्र चुन्नीराम जाति नायक उम्र 50 वर्ष निवासी चक 3 एन डी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———वादी

बनाम्

1. कालुराम पुत्र चुन्नीराम जाति नायक उम्र 56 वर्ष निवासी 3 एन डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **———मृत्तक**
   - 1/1 केसरदेवी पत्नी कालूराम जाति नायक उम्र 50 वर्ष निवासी 3 एन डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
   - 1/2 चन्द्रभान पुत्र कालूराम जाति नायक उम्र 30 वर्ष निवासी 3 एन डी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
   - 1/3 शारदा पुत्री कालूराम जाति नायक उम्र 28 वर्ष निवासी 66 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
   - 1/4 कमला पुत्री कालूराम पत्नी नरेश जाति नायक उम्र 27 वर्ष निवासी शिवबाडी मोहल्ला सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
   - 1/5 श्योपत पुत्र कालूराम जाति नायक उम्र 25 वर्ष निवासी चक 3 एनडी तहसील अनूपगढ़
   - 1/6 राधा पुत्री कालूराम पत्नी सुरेश जाति नायक उम्र 24 वर्ष निवासी शिव बाडी मोहल्ला सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
   - 1/7 बुधाराम पुत्र कालूराम जाति नायक उम्र 22 वर्ष निवासी चक 3 एन डी तहसील अनूपगढ़
   - 1/8 मन्जू पुत्री कालूराम जाति नायक उम्र 20 वर्ष निवासी चक 3 एन डी तहसील अनूपगढ़
   - 1/9 सोनू पुत्र कालूराम जाति नायक उम्र 18 वर्ष निवासी चक 3 एन डी तहसील अनूपगढ़
2. राजूराम पुत्र चुन्नीराम जाति नायक उम्र 43 वर्ष निवासी 3 एन डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. पालाराम पुत्र चुन्नीराम जाति नायक उम्र 52 वर्ष निवासी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. लालचन्द पुत्र दुलाराम जाति बावरी निवासी 5 एल एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **———मृत्तक**
   - 4/1 कमलादेवी पत्नी लालचन्द उम्र 62 वर्ष
   - 4/2 महावीर पुत्र लालचन्द उम्र 35 वर्ष
   - 4/3 राजेन्द्र पुत्र लालचन्द उम्र 35 वर्ष अकवाम बावरी निवासीगण भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़
   - 4/4 रानीदेवी पत्नी रामेश्वर पुत्री लालचन्द जाति बावरी निवासी खिचिंया तहसील रायसिंहनगर
   - 4/5 सिलोचनादेवी पत्नी रामेश्वर पुत्र लालचन्द जाति बावरी निवासी खिचिंया तहसील रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:42 IST
Reason: SelfAttested

4/6 शिमलादेवी पत्नी बुधराम पुत्री लालचन्द जाति बावरी निवासी खिचिंया तहसील रायसिंहनगर

4/7 बिदया देवी पुत्री सतपाल जाति बावरी निवासी भगवानगढ़ तहसील अनूपगढ़

5. लेखराम पुत्र दुलाराम जाति बावरी निवासी 5 एल एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. उप पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ श्रीगंगानगर (राज.)

––– **प्रतिवादीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–

1. श्री हंसराज डाल एडवोकेट –वादी की ओर से
2. श्री ओमप्रकाश डागला एडवोकेट –प्रतिवादीगण की ओर से

::निर्णय:: **दिनांक 27.08.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 5 एल एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 28 पत्थर नं. 267/484 का किला नं. 1ता20 का 20 बीघा यानि 5.060 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1ता5 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है जिसमें वादी का 843/5060 हिस्सा, प्रतिवादी सं.1 का 21/506 हिस्सा, प्रतिवादी सं.–2 का 211/5060 हिस्सा, प्रतिवादी सं.–3 का 211/5060 हिस्सा, प्रतिवादी सं.–4 का 163/460 हिस्सा प्रतिवादी सं.–5 का 448/1265 हिस्सा संयुक्त रूप से बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जो वादी एवं प्रतिवादी सं.–1ता3 के पिता चुन्नीराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। वादी के पिता चुन्नीराम के देहान्त उपरांत उक्त कृषि भूमि चुन्नीराम के 8 वारिसों जिसमें 5 लड़के 3 लड़कीयाँ को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त कुल कृषि भूमि में वादी का संयुक्त रूप से कुल 843/5060 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं.1ता3 व भाई मुखराम द्वारा पिता चुन्नीराम के जीवनकाल में ही उक्त कृषि भूमि के संबंध में अपने अपने हिस्सा अनुसार एवं भूमि की किस्म खाला रास्ता आदि को मध्यनजर रखते हुए कब्जा अनुसार आपसी सहमति से एवं पारस्परिक तौर पर घरेलू खाता विभाजन काफी अरसा पूर्व ही कर लिया गया था ताकि प्रत्येक काश्तकार को अपने अपने हिस्सा की भूमि काश्त करने व सिंचाई व उसके उपयोग उपभोग आदि में किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो ओर ना ही किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1ता3 व वादी के भाई मुखराम द्वारा पारस्परिक घरेलू खाता विभाजन किया गया। जिस घरेलू बटंवारा में वादी को वाके चक 5 एल एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 28 पत्थर नं. 267/484 का किला नं. 1, 10, 11 प्रत्येक सालम व 2 में 7 बिस्वा कुल 3 बीघा 07 बिस्वा, प्रतिवादी सं.1 को किला नं 2 में 13 बिस्वा, 3, 4 प्रत्येक सालम, 4 में 14 बिस्वा कुल 3 बीघा 07 बिस्वा, प्रतिवादी सं. 2 को किला नं. 5 में 6 बिस्वा, 6,7,8 प्रत्येक सालम कुल 3 बीघा 6 बिस्वा, प्रतिवादी सं. 3 को किला नं. 9, 12, 13 प्रत्येक सालम व 14 में 7 बिस्वा, कुल 3 बीघा 07 बिस्वा एवं मुखराम पुत्र चुन्नीराम को किला नं. 14 में 13 बिस्वा, 13, 15, 20 कुल 3 बीघा 13 बिस्वा को बटंवारा व कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:42 IST
Reason: SelfAttested

में प्राप्त हुई तत्पश्चात प्रतिवादी सं. 1ता3 व मुखराम ने अपना व बहनों का हिस्सा की का बैचान प्रतिवादी सं. 4व5 को कर दिया। वादी एंव प्रतिवादीगण द्वारा पारस्परिक तोर पर वाहमी करने के उपरांत वादी अपने हिस्सा के उक्त किलाजात की भूमि किला नं. 1,10,11 प्रत्येक सालम व 2 में 7 बिस्वा कुल 3 बीघा 07 बिस्वा पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा इसी अनुरूप अपने–2 हिस्सा की भूमि को सिचिंत व उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। पूर्व में पिता के जीवनकाल में ही वादी एवं प्रतिवादी सं. 1ता3 एवं मुखराम के मध्य सहमति स्वरूप ही भूमि की किस्म के अनुसार ही घरेलू बटंवारा किया गया था और उसी अनुरूप ही अपने अपने हिस्सा में आई भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1ता 5 के मध्य खाता विभाजन करवाने का विधिक अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य हुऐ पारस्परिक बंटवारा के उपरांत वादी ने प्रतिवादी सं. 1ता3 व मुखराम से कई बार कहा कि अपने सभी जने सहमत होकर तहसील में चल कर अपने–2 हिस्सा अनुसार व कब्जा अनुसार एवं पारस्परिक वाहमी बटंवारा जिसका विवरण मद सं.3 में दिया गया के अनुसार ही भूमि का खाता विभाजन करवा लेवे ताकि प्रत्येक पक्ष अपने अपने हिस्सा की भूमि को अच्छी तरह काश्त कर सके और उसका उपयोग उपभोग कर सके तथा अपने अपने नाम से पानी की पर्ची बधंवाकर अपने अपने हिस्सा की भूमि का मालकाना व आबयाना आदि खजाना राज में जमा करवावे ओर अपने अपने किलाजात की भूमि का हर तरह से उपयोग उपभोग कर सके जिससे भविश्य में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा व विवाद भी नहीं होगा। लेकिन प्रतिवादी सं. 1ता3 व मुखराम हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। इसी दौरान प्रतिवादी सं. 1ता3 ने अपने अपने हिस्सा में कुछ कृषि भूमि व बहनों का व मुखराम ने अपने अपने हिस्सा की भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. 4 व 5 को कर दिया गया। वादी एंव प्रतिवादी सं. 1ता3 व मुखराम के द्वारा पिता के जीवनकाल में ही मौखिक रूप से आपसी सहमति व पारस्परिक तौर पर घरेलू मौखिक बंटवारा किया गया था जिसमें वादी के हिस्सा व कब्जा में किला नम्बर 1,10,11 प्रत्येक सालम व 2 के 7 बिस्वा भूमि आई जो निरन्तर वादी के अधिकार में चली आ रही है जिस पर वादी ने अपना अथक परिश्रम लगाकर उसमें समुचित सुधार व विकास भी कर लिया है जिससे वादी अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता आ रहा है लेकिन प्रतिवादी सं. 1ता3 उक्त सयुंक्त खाता की कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये किलाजात दर्शाकर अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि को बैचान करने के प्रयासरत है जबकि उक्त कृषि भूमि सयुंक्त खाता में हैं जिसका अभी तक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1ता5 के मध्य खाता विभाजन नहीं हुआ है लेकिन पारस्परिक घरेलू मौखिक बटंवारा अनुसार प्रत्येक काश्तकार अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। लेकिन प्रतिवादी सं. 1ता3 किलाजात दिखाते हुए अन्यत्र बैचान करने के प्रयासरत है। [illegible] प्रतिवादी सं.1ता3 अब चालू जमाबन्दी में दर्ज अपने अपने नाम की [illegible] की कृषि भूमि अन्यत्र बेचने पर उतारू है और प्रतिवादी [illegible] हम अपने अपने हिस्सा की भूमि का बैचान कर [illegible] वाले किलाजात की भूमि से वादी को जबरन बेदखल कर खरीददार को कब[illegible] करवायेगें क्योंकि जमीन संयुक्त खाता की है लेकिन हम विशिष्ट किलाजात की भूमि का कब्जा खरीददार को स्टाम्प लिखवाकर देगें और वादी को उसके कब्जा काश्त की कृषि भूमि से बेदखल कर देगें। जिस आज से अरसा तीन रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी सं. 1ता5 से तहसील में चल कर कब्जा अनुसार तथा पूर्व में पारस्परिक तौर पर किये गये वाहमी बटंवारा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में बटंवारा करवाने का कहा तो प्रतिवादी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:42 IST
Reason: SelfAttested

1ता5 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा स्पष्ट कहा कि उन्हे बटंवारा करने कोई जरूरत नहीं है वादी को जरूरत है तो वादी करवा सकता है तथा प्रतिवादी सं. 1ता3 ने स्पष्ट कहा कि हमने तो अपनी अपनी जमीन अन्यत्र बैचान करनी है हम बिना बटंवारा करवाये विशिष्ठ किलाजात की भूमि को अन्यत्र बैचान कर कब्जा हस्तान्तरित कर देगें और वादी को उसके मौखिक घरेलू बटंवारा में आई भूमि से जबरन बेदखल करेगें बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादी पारस्परिक घरेलू बंटवारा में प्राप्त अपने हिस्सा व किलाजात की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अब प्रतिवादी सं. 1ता3 लालचवश वादी को उक्त पारस्परिक घरेलू बटंवारा की भूमि पर वादी के कब्जा काश्त व उसके उपयोग उपभोग में वेजा मदाखलत करने पर उतारू है तथा बिना खाता विभाजन करवाये विशिष्ट किलाजात की भूमि का अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर उतारू है यदि प्रतिवादीगण अपने अनुचित मकसद में कामयाब हो गये तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपुर्ति मुद्रा की ऐवज में नहीं हो सकेगी इसलिए वादी उक्त भूमि पर अपने अधिकार व अधिपत्य को बनाये रखने के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश डागला ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद स्वीकार किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं हैं।

वकील वादी एवं प्रतिवादीगण वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण नाम से संयुक्त खाता राजस्व रिकार्ड में है। प्रतिवादी सं. 07 तहसीलदार द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली में विवादित बिन्दू नही है तथा पत्रावली में अन्य कोई न्यायिक पक्ष शेष नही होने की स्थिति में वादी का यह वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य है एवं स्वीकार किये जाने योग्य है।

::आदेश ::

वाद–वादी निर्णित एवं डिक्रित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 07 तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी को चक 5 एल एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 28 पत्थर नं. 267/484 का किला नं. 1ता20 का 20 बीघा यानि 5.060 हैक्टर कृषि भूमि में से किला नं.–1,10,11 सालम एवं किला नं.–02 में 07 बिस्वा (किला नं.–01 के चिपता) कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है [illegible]अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अकिंत किए जाने के आदेश दिए [illegible] है निर्णय की प्रति अलग से तहसीलदार राजस्व अनूप[illegible] [illegible] डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ [illegible] की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 27/08/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़